GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE. No. 74/2012

No.E(MPP)2012/3/34 New Delhi, Dated: 22.06.2012

The General Managers
All Indian Railways
Including Production Units

Sub: - Qualitative Improvement in Training

During a meeting of full Board held on 23.05.2012 it was minuted that staff, especially LPs/ALPs and SMs/ASMs, should be trained through properly tailored initial, refresher and reorientation training regimen so that they are well equipped to cope with modern technological initiatives.

2. The training modules of ALPs have been revised recently vide Board's letter No. E(MPP)/2009/3/14 dated 05.06.2009. In this regard it is stated that the training modules pertaining to SMs/ASMs have already been circulated and are being implemented by the Railways. The question of revision is now under active consideration of the Human Resource Reforms Committee. Till the revised training modules are issued, Zonal Railways, keeping in view the changes in the working practices, technology etc. and the local conditions may modify the training module of SMs/ASMs accordingly to suit the current requirements.

3. Zonal Railways are aware that training of the above referred categories are undertaken in the Main Training Centres and there are nominated training managers, who are required to monitor the quality and content of the training programme. The Railway administration, therefore, must ensure that qualitative training is imparted to the trainees and they should chalk out an action plan so that systems are put in place, both for monitoring quality of training through active involvement of the training managers as also undertaking regular evaluation of the level of knowledge, skills and preparation of vital safety category staff, who have undergone training.

4. In the Report on Collision of 55611 UP Fakiragram-Kamakhya Fast Passenger on 07.12.2011 with a loaded dumper at UMLC Gate No. NN256 between Stations Chayagaon and Mirza on Kamakhya-Goalpara-New Bongaigaon BG single line Non-electrified E Route section of Rangiya Division of Northeast Frontier Railway, CRS has commented on the poor quality of training being imparted on the Railways.

....2/-

5. Similarly, the CRS in his report on Collision of 55805 UP New Bongaigaon-Guwahati Chilarai Passenger on 03.02.2012 with an Excavator Cum Loader (JCB) between Station Mirza and Azara on New Bongaigaon-Goalpara Town-Kamakhya Broad Gauge Single Line Non-Electrified E Route Section of Rangiya Division, N.F. Railway has commented on the poor quality of training being imparted on Railways.

6. In yet another case CRS in his report on Head on Collision between UP Goods Train DN Goods Train at Tangripal Station-Banspani Section of Khurda Road of ECoR on 31.08.2011 has stated that the level of knowledge of SMs is inadequate, the knowledge of Traffic Inspector also was found to be inadequate and the Division (Operating and Safety Department) under take necessary steps to ameliorate the knowledge of field staff.

7. The incidence of accidents as reported above as also the comments on the inadequate knowledge and skills or poor quality of training indicate the absence of monitoring of the quality of training.

8. It is desired that the issue be deliberated at the highest level in the zonal railways, to ensure qualitative improvement in the training environment.

(R.R. Prasad)
Executive Director(Trg. & MPP
Railway Board

No.E(MPP)2012/3/34 New Delhi, Dated: 29.06.2012

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony New Delhi (15 copies)

For Secretary/Railway Board.

Contd/....3

Copy to:

PS & ED(PG) to MR, MSR(B) & MSR(M)

PSO/Sr.PPS/PPS to CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),

PPS to AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), Adv(Safety), LA, OSD(MIS).
ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project/DMRC, EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W).

Chief Commissioner of Railway Safety Lucknow.

E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)I, F(E)II, F(E)III , E(SCT)I, E(SCT)II Branches of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं.: 74 /2012

सं.ई (एमपीपी) 2012/3/34 नई दिल्ली, 22.06.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
उत्पादन इकाइयों सहित

विषय: प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार।

23.05.2012 को आयोजित पूरे बोर्ड की बैठक के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि कर्मचारियों, विशेषरूप से एलपी/एएलपी और एसएम/एएसएम को समुचित रूप से निर्धारित प्रारंभिक, पुनश्चर्या और रीओरीएन्टेशन प्रशिक्षण के माध्यम से नियमानुसार प्रशिक्षित किया जाए ताकि उन्हें आधुनिक तकनीकी कार्यों की अच्छी जानकारी हो सके।

2. एएलपी के प्रशिक्षण मॉड्यूलों को बोर्ड के दिनांक 05.06.2009 के पत्र सं.ई(एमपीपी)/ 2009/3/14 के तहत हाल ही में संशोधित किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एसएम/एएसएम से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पहले ही परिपत्रित किया जा चुका है और इन्हें रेलों द्वारा अमल में लाया जा रहा है। अब इनके संशोधन के प्रश्न पर मानव संसाधन सुधार समिति द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूलों के जारी होने तक ज़ोनल रेलें कार्य पद्धतियों, प्रौद्योगिकी आदि में होने वाले परिवर्तनों और स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल तदनुसार एसएम/एएसएम के प्रशिक्षण मॉड्यूल में आशोधन कर सकती हैं।

3. ज़ोनल रेलें जानती हैं कि मुख्य प्रशिक्षण केन्द्रों में ऊपर संदर्भित कोटियों के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और वहां नामित प्रशिक्षण प्रबंधक हैं जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता और विषय-वस्तु को मॉनीटर करना होता है। अत: रेल प्रशासन द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षुओं को गुणात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है और वे ऐसी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करें ताकि प्रशिक्षण प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग और महत्वपूर्ण संरक्षा कोटि के कर्मचारियों, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, की जानकारी, कौशल और तैयारी के स्तर का नियमित मूल्यांकन करने के लिए प्रणाली उपलब्ध हो सके।

4. 07.12.2011 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया मंडल के कामाख्या-गोलपाड़ा-न्यू बोंगाईगांव ब.ला. एकल लाइन वाले गैर-विद्युतीकृत ई मार्ग खंड पर चायगांव और मिर्जा स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार वाले समपार फाटक सं.एन एन 256 पर 55611 अप फकीरग्राम-कामाख्या फास्ट पैसेंजर की लदे हुए डम्पर के साथ हुई टक्कर की रिपोर्ट में मुख्य संरक्षा आयुक्त ने टिप्पणी की है कि रेलों पर दिए जा रहे प्रशिक्षण का स्तर खराब है।

5. इसी प्रकार, 03.02.2012 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया मंडल के न्यू बोंगाईगांव-गोलपाड़ा टाऊन-कामाख्या ब.ला. एकल लाइन वाले गैर-विद्युतीकृत ई मार्ग खंड पर मिर्जा और अजरा स्टेशनों के बीच 55805 अप न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी चिलाराई पैसेंजर की एक्सकेवेटर-कम-लोडर (जेसीबी) के साथ हुई टक्कर की रिपोर्ट में मुख्य संरक्षा आयुक्त ने टिप्पणी की है कि रेलों पर दिए जा रहे प्रशिक्षण का स्तर खराब है।

6. एक और मामले में भी 31.08.2011 को पूर्व तट रेलवे के खुरदा रोड के बांसपानी खंड के टंगरीपाल स्टेशन पर अप दिशा की मालगाड़ी और डाउन दिशा की मालगाड़ी के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर की रिपोर्ट में मुख्य संरक्षा आयुक्त ने उल्लेख किया है कि स्टेशन मास्टरों की जानकारी अपर्याप्त है और यातायात निरीक्षक की जानकारी भी अपर्याप्त पाई गई थी तथा मंडल (परिचालन एवं संरक्षा विभाग) फील्ड कर्मचारियों की जानकारी बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

7. ऊपर उल्लिखित दुर्घटनाओं और अपर्याप्त जानकारी एवं कौशल अथवा प्रशिक्षण का स्तर खराब होने के संबंध में की गई टिप्पणियों से पता चलता है कि प्रशिक्षण के संबंध में मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है।

8. ऐसी वांछा की जाती है कि ज़ोनल रेलों में इस मामले पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया जाए ताकि प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

21/6/2012

(आर. आर. प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक, (प्रशिक्षण एवं एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सं.ई (एमपीपी) 2012/3/34 नई दिल्ली, 22.06.2012

प्रतिलिपि:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली, 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
7. महासचिव, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे एम्पलॉईज़ एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली (15 प्रतियां)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड